बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

II संकल्प II

संख्या–02/स्था0–SDRF-10/2017/................../आ0प्र0, पटना–15 दि0–

विषय–राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स (SDRF) की एक बटालियन में पूर्व से प्रावधानित 18 टीमों को मिलाकर कुल पचास (50) टीमों के गठन हेतु विभिन्न श्रेणी/रैंक में कुल 571 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति।

राज्य के किसी भाग में आपदा के आने पर खोज, बचाव एवं राहत कार्यों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–2/स्था0–17–26/2008/698/आ0प्र0, दिनांक–16.03.2010 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस बल (NDRF) के पैटर्न पर राज्य आपदा रिस्पांस बल (SDRF) की एक बटालियन का गठन किया गया है। बटालियन में 6 कम्पनियों के अन्तर्गत 18 Specialist Response Teams के गठन हेतु विभिन्न श्रेणी/ रैंक में कुल 1157 पदों का सृजन किया गया है।

2. अपने गठन के पश्चात काफी कम अवधि में ही राज्य आपदा रिस्पांस बल (SDRF) ने अपने आप को एक सशक्त आपदा मोचन बल के रूप में स्थापित किया है। एस0डी0आर0एफ0 टीमों ने आपदाओं के दौरान, विशेष कर बाढ़ अवधि में, बचाव एवं राहत कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया है। साथ ही छठ महापर्व, दुर्गा पूजा के दौरान मूर्त्ति विसर्जन तथा अन्य ऐसे आयोजनों, जहाँ काफी भीड़ एकत्रित होने के कारण भगदड़/डूबने आदि दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, के अवसरों पर भी एस0डी0आर0एफ0 टीमों ने आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से सराहनीय कार्य किया है। इसके अतिरिक्त एस0डी0आर0एफ0 टीमें आपदा प्रबंधन से संबंधित सामुदायिक प्रशिक्षण/जागरूकता के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। सात जिले, जहाँ एस0डी0आर0एफ0 की टीमें स्थायी रूप से Pre-positioned रहती हैं, को छोड़कर अन्य जिलो में किसी आपदा या आकस्मिक दुर्घटना के घटित होने पर एस0डी0आर0एफ0 टीमों को एस0डी0आर0एफ0 मुख्यालय, बिहटा, पटना अथवा Pre-positioned वाले जिलों से पहुंचने में कुछ समय लग जाता है। फलस्वरूप त्वरित एवं प्रभावकारी ढंग से बचाव एवं राहत कार्य संभव नहीं हो पाता है। अतः response time को न्यूनतम करने के उद्देश्य से यह महसूस किया गया कि एस0डी0आर0एफ0 की एक–एक टीम स्थायी रूप से राज्य के सभी 38 जिलों में Pre-positioned रहे, ताकि प्राकृतिक अथवा गैर प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए त्वरित गति से कार्रवाई किया जा सके। इसके अतिरिक्त 12 टीमें एस0डी0आर0एफ0 मुख्यालय बिहटा में सुरक्षित रहें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें भी अन्य जिलों में भेजा जा सके। इस प्रकार एस0डी0आर0एफ0 की पूर्व से गठित 18 टीमों को मिलाकर कुल 50 (पचास) टीमों के गठन की आवश्यकता है।

3. प्रत्येक जिला में स्थायी रूप से प्रतिनियुक्त एस0डी0आर0एफ0 की टीम के आवासन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। भविष्य में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा उनके आवासन के लिए स्थायी संरचना का निर्माण कराया जाएगा।

4. तदनुसार प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव एवं राहत के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु राज्य आपदा रिस्पांस बल (SDRF) में पूर्व से प्रावधानित 18 टीमों को मिलाकर कुल 50 टीमों का गठन निम्नानुसार करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :

i. एस0डी0आर0एफ0 की एक बटालियन में कुल 50 Specialist Response Teams होंगी। प्रत्येक Specialist Response Team के लिए आवश्यक पदों की विवरणी अनुलग्नक– I पर संलग्न है।

ii. राज्य आपदा रिस्पांस बल (SDRF) के विभिन्न श्रेणी/ रैंक में पूर्व से स्वीकृत 1157 पदों के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणी/ रैंक में कुल 571 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रकार राज्य आपदा रिस्पांस बल के एक बटालियन में विभिन्न श्रेणी/ रैंक के कुल 1728 पद होंगे, जिसकी विवरणी अनुलग्नक–IA पर संलग्न है।

iii. विभिन्न श्रेणी/ रैंक में स्वीकृत अतिरिक्त 571 पदों एवं उनपर होने वाले अनुमानित स्थापना व्यय की विवरणी अनुलग्नक–II पर संलग्न है।

iv. विभागीय संकल्प सं0 698/आ0प्र0 दिनांक–16.03.2010 एवं 1486/आ0प्र0 दिनांक 30.05.17 के द्वारा राज्य आपदा रिस्पांस बल (SDRF) के लिए निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

<u>नियुक्ति प्रकिया</u> – एन0डी0आर0एफ0 के बटालियन के पैटर्न पर एस0डी0आर0एफ0 में कुल 18 श्रेणी/रैंक के 1728 पद होंगे। इसके लिए अलग से भर्त्ती नियमावली बनाई जाएगी। बटालियन के विभिन्न पदों (फॉलोअर श्रेणी के पदों को छोड़कर) पर यथानुसार भारतीय सेना/नौसेना के सेवानिवृत्त कमीशन प्राप्त/जुनियर कमीशन प्राप्त/नन कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं जवानों, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों (CPMF) के सेवानिवृत अधिकारियों एवं जवानों तथा बिहार गृह रक्षा वाहिनी (स्पेशल बटालियन) के विशेषगण सिपाहियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर एकमुश्त वेतन/मानदेय के आधार पर की जायेगी। इन पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार मिलिट्री पुलिस (BMP)/जिला सशस्त्र पुलिस (DAP)/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल (CPMF) के अधिकारियों/जवानों की सेवा भी ली जा सकेगी। नियुक्ति में तैराकी, गोताखोरी, मोटरबोट चालन में निपुण जवानों को प्राथमिकता दी जायेगी।
फॉलोअर श्रेणी के पदों पर नियुक्ति संविदा के आधार पर खुले विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी।

जुनियर कमीशन प्राप्त/नन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष एवं कमीशन प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी। जवानों एवं फॉलोअर की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी। सभी कर्मियों को 3 (तीन) वर्षों के लिए नियुक्त किया जायेगा तथा उनकी कार्यदक्षता एवं आचरण के आधार पर अगले 5 (पांच) वर्षों तक सेवा विस्तार दिया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में इन कर्मियों को 2 (दो) वर्षो के लिए अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया जा सकेगा, परन्तु किसी भी परिस्थिति में कर्मी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवा विस्तार नहीं दिया जायेगा।

5. विभागीय संकल्प संख्या 698/आ0प्र0 दिनांक–16.03.2010 के द्वारा एस0डी0आर0एफ0 के एक बटालियन के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 18 टीमों के गठन पर होने वाले अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। एस0डी0आर0एफ0 के अतिरिक्त 32 टीमों के गठन पर होने वाले अनुमानित आवर्त्तक एवं अनावर्त्तक व्यय की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैः–

(i) <u>आवर्त्तक व्यय</u> – SDRF की अतिरिक्त 32 टीमों के गठन हेतु विभिन्न श्रेणियों में 571 अतिरिक्त पदो के सृजन एवं उक्त पदों पर संविदा के आधार पर एक मुश्त वेतन/मानदेय पर नियुक्त करने पर अनुलग्नक–III पर दी गयी विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य आवर्त्तक व्यय पर प्रतिवर्ष कुल 12,90,60,000/– (बारह करोड़ नब्बे लाख साठ हजार) रूपये मात्र के अनुमानित आवर्त्तक व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन पदों के लिए अनुमान्य मानदेय/ वेतन, मंहगाई भत्ता आदि में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर किये गये पुनरीक्षण की दशा में उसके अनुरूप पुनरीक्षण किया जायेगा, जिसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग सक्षम होगा। प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति करने पर स्थापना मद की राशि में थोड़ा फेरबदल हो सकता है।

(ii) <u>अनावर्त्तक व्यय</u> – राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स की अतिरिक्त 32 टीमों के गठन पर कुल 75,41,16,000/– (पचहत्तर करोड़ एकतालीस लाख सोलह हजार) रूपया मात्र के अनुमानित अनावर्त्तक व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी गणना अनुलग्नक–IV के अनुसार किया गया है।

(iii) **कुल व्यय** – इस प्रकार एस0डी0आर0एफ0 की अतिरिक्त 32 टीमों के गठन पर आवर्त्तक एवं अनावर्त्तक व्यय मिलाकर कुल 88,31,76,000/– (अठासी करोड़ इक्तीस लाख छिहत्तर हजार) रू0 (गोलांक में) 88.32 करोड़ रू0 के अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. विभागीय संकल्प सं0–698/आ0प्र0, दिनांक–16.03.2010 के द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स के एक बटालियन के अंतर्गत 18 टीम (Specialist Response Teams) का गठन किया गया था। टीम हेतु राशि का व्यय राज्य स्कीम शीर्ष 2245–80–102–0104 राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स मद के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जा रहा है। परन्तु राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स की भविष्य में भी आवश्यकता होने के कारण इसपर होने वाला व्यय स्थायी प्रकृति का हो गया है। अतः एस0डी0आर0एफ0 की पूर्व से प्रावधानित 18 टीमों

एवं वर्तमान में स्वीकृत 32 टीमों (कुल 50 टीम) पर होने वाला व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व का गैर योजना मद) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित पदाधिकारियों तथा संबंधित विभागों को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक—02/स्था0—SDRF-10/2017................../आ0प्र0 पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपि—ई—गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, बिहार सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसे राज्य के अगले गजट के असाधारण अंक में मुद्रित कराकर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/—
प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक—02/स्था0—SDRF-10/2017................../आ0प्र0 पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपि— मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग/ पुलिस महानिदेशक—सह—महानिरीक्षक, बिहार, पटना/महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना/गृह सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—
प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक—02/स्था0—SDRF-10/2017................../आ0प्र0 पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपि— माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, /माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक—02/स्था0—SDRF-10/2017.....1987../आ0प्र0 पटना—15, दिनांक—24/7/18

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अपर सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/स्थापना शाखा (5 प्रतियों में)/योजना एवं बजट शाखा (5 प्रतियों में)/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग

E:\2018\Draft\Sankalp SDRF\Sankalp.docx

अनुलग्नक–II

अनुलग्नक – I

CONSTITUTION OF SPECIALISED SEARCH AND RESCUE TEAM

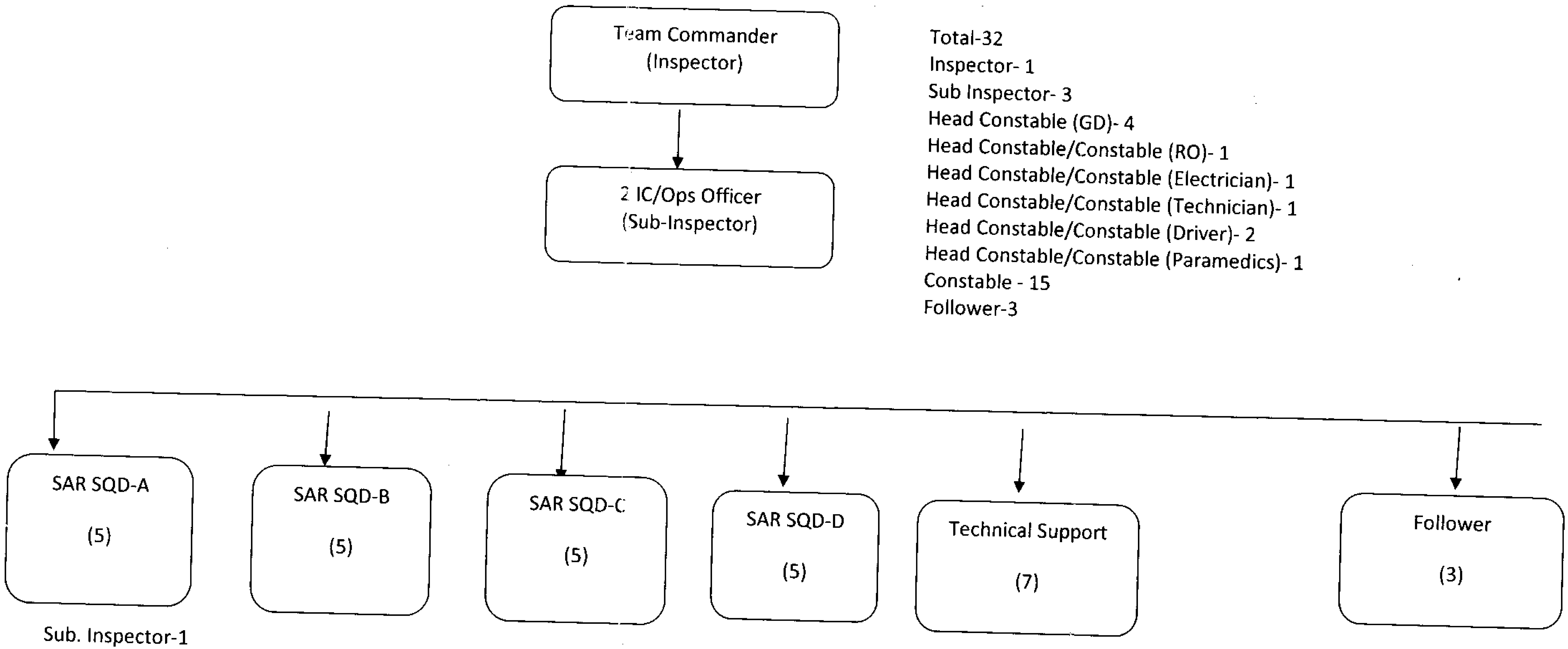

Total-32
Inspector- 1
Sub Inspector- 3
Head Constable (GD)- 4
Head Constable/Constable (RO)- 1
Head Constable/Constable (Electrician)- 1
Head Constable/Constable (Technician)- 1
Head Constable/Constable (Driver)- 2
Head Constable/Constable (Paramedics)- 1
Constable - 15
Follower-3

SAR SQD-A:
Sub. Inspector-1
Head Constable-1
Constable-3

SAR SQD-B:
Head Constable-1
Constable-4

SAR SQD-C:
Sub. Inspector-1
Head Constable-1
Constable-3

SAR SQD-D:
Head Constable-1
Constable-4

Technical Support:
Head Constable/Constable (RO)- 1
Head Constable/Constable (Electrician)- 1
Head Constable/Constable (Technician)- 1
Head Constable/Constable (Driver)- 2
Head Constable/Constable (Paramedics)- 1
Constable (Support Staff)- 1

(Pratyaya Amrit)
Principal Secretary
Disaster Management Department

राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स (SDRF) की एक बटालियन के अन्तर्गत 50 टीमों के लिए विभिन्न श्रेणी/रैंक में स्वीकृत कुल पदों की विवरणी

क्र0 सं0	पदनाम	एस0डी0आर0एफ0 में पूर्व से स्वीकृत पदों की संख्या	50 टीमों के गठन हेतु अतिरिक्त स्वीकृत पदों की संख्या	50 टीमों के गठन हेतु कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1	समादेष्टा	1	0	1
2	उप समादेष्टा	4	0	4
3	सहायक समादेष्टा (कार्यपालक)	7	0	7
4	सहायक समादेष्टा अथवा कनीय प्रशासी पदाधिकारी	1	0	1
5	चिकित्सा पदाधिकारी	19	0	19
6	निरीक्षक (कार्यपालक)	30	20	50
7	निरीक्षक (अनुसचिवीय)	2	0	2
8	अवर निरीक्षक (कार्यपालक)	75	75	150
9	संरचना अभियंता/अवर निरीक्षक	36	0	36
10	अवर निरीक्षक (संचार–रेडियो ऑपरेटर)	18	0	18
11	अवर निरीक्षक (अनुसचिवीय)	4	0	4
12	अवर निरीक्षक/सहायक अवर निरीक्षक (आशुलिपिक)	5	0	5
13	सहायक अवर निरीक्षक/ हेड कांस्टेबुल (अनुसचिवीय)	4	0	4
14	हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी/ रेडियो ऑपरेटर)	191	59	250
15	हेड कांस्टेबल (पारामेडिक/तकनीकी/विद्युतीय)	72	78	150
16	हेड कांस्टेबल/ कांस्टेबल (वाहन–सह–मोटरबोट चालक)	86	14	100
17	कांस्टेबल	525	225	750
18	फॉलोअर	77	100	177
	कुल योग	**1157**	**571**	**1728**

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग

अनुलग्नक–II

SDRF की कुल 50 टीमों के गठन हेतु विभिन्न श्रेणी में अतिरिक्त पदों का सृजन एवं उनके स्थापना पर होने वाले अनुमानित व्यय की विवरणी

क0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा के आधार पर एकमुश्त मासिक वेतन की राशि (प्रति ईकाई) (रूपये में)	प्रति ईकाई वार्षिक वेतन की राशि (रूपये में)	कुल संख्या बल के आधार पर वार्षिक वेतन की राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1	निरीक्षक (कार्यपालक)	20	28000	336000	6720000
2	अवर निरीक्षक (कार्यपालक)	75	28000	336000	25200000
3	हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी/ रेडियो ऑपरेटर)	59	18000	216000	12744000
4	हेड कांस्टेबल (पारामेडिक/तकनीकी/विद्युतीय)	78	18000	216000	16848000
5	हेड कांस्टेबल/ कांस्टेबल (वाहन–सह–मोटरबोट चालक)	14	18000	216000	3024000
6	कांस्टेबल	225	15000	180000	40500000
7	फॉलोअर (रसोईया–20, जलवाहक–20, नाई–20, धोबी–20 एवं झाडुकश–20)	100	8900	106800	10680000
	कुल	**571**	**133900**	**1606800**	**115716000**

(ग्यारह करोड़ सन्तावन लाख सोलह हजार रू0 मात्र)

नोटः– एस0डी0आर0एफ0 वाहिनी में संविदा के आधार पर नियुक्त होने वाले फॉलोअर स्तर के कर्मियों में रसोईया, जलवाहक, नाई एवं धोबी को श्रम विभाग के द्वारा कुशल कर्मियों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक एवं झाडूकश को श्रम विभाग के द्वारा अकुशल कर्मियों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर मासिक मानदेय देय होगा। वर्त्तमान में कुशल कर्मियों के लिए 307/– रू0 प्रति दिन एवं अकुशल कर्मियों के लिए 242/– रू0 प्रति दिन का दर निर्धारित है।

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग

आवर्त्तक व्यय

क0सं0	मद का नाम	वार्षिक अनुमानित व्यय (रूपये में)
i.	मानदेय / पारिश्रमिक	115716000.00
ii.	वर्दी (@4000 / –)	2284000.00
iii.	कार्यालय व्यय	1500000.00
iv.	ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर (वायरलेस नेटवर्किंग सहित)	2800000.00
v.	ईंधन एवं वाहन आदि अनुरक्षण	2240000.00
vi.	दूरभाष	560000.00
vii.	यात्रा व्यय	2000000.00
viii.	प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री	1960000.00
	कुल	**129060000.00**

(बारह करोड़ नब्बे लाख साठ हजार रू0 मात्र)

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग

E:\2018\Draft\Sankalp SDRF\Annexure III.docx

अनावर्त्तक व्यय

क0सं0	मद का नाम	कुल अनुमानित व्यय (रूपये में)
i.	लाईट वेहिकल (34)	34000000.00
ii.	बस (34)	68000000.00
iii.	जेनरेटर (68)	6800000.00
iv.	चारपाई (648)	2916000.00
v.	मेस सामग्री	200000.00
vi.	मोटरबोट (101)/अन्य डाईविंग उपकरण/लाईफ जैकेट/लाईफ ब्याय	100000000.00
vii.	अन्य राहत एवं बचाव उपकरण /सामग्री	542200000.00
कुल		**754116000.00**

(पचहत्तर करोड़ एकतालीस लाख सोलह हजार रू0 मात्र)

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग